

कम्प्यूटर-परिपत्र सं०- 1415043 दिनांक 09/7/14
पत्र सं०-वाद / रिफण्ड पत्रा० / 2014-15 /

342 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर
(वाद-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
दिनांक:: लखनऊ :: 08 जुलाई, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम 50 के अन्तर्गत रिफण्ड एवं समायोजन के सुसंगत रिफण्ड की धनराशि के भुगतान को सुगम एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से आन लाइन रिफण्ड की व्यवस्था लागू की जा रही है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अवधारित की जाती है :-

1. अधिकारियों द्वारा VYAS Central के लिए प्राप्त यूजर आईडी तथा पासवर्ड से लागू इन किया जायेगा।
2. इसके पश्चात RC and Assessment मेन्यू में उपलब्ध Notices / Orders के Link पर Click किया जायेगा। इसके पश्चात e-Order Menu में उपलब्ध Refund Order के लिंक पर Click किया जायेगा।
3. रिफण्ड पेमेन्ट / समायोजन आदेश यदि पंजीकृत व्यापारी के लिए निर्गत किया जाना है तो Registered के बटन पर Click किया जायेगा। व्यापारी के अपंजीकृत होने की स्थिति में Unregistered के बटन पर Click किया जायेगा।
4. पंजीकृत व्यापारी की स्थिति में टिन अंकित करने पर व्यापारी फर्म का नाम, पता तथा कार्यालय डेटाबेस से स्वतः ही अंकित हो जायेगा।
5. अपंजीकृत व्यापारी की स्थिति में व्यापारी का नाम, पता कार्यालय द्वारा अंकित किया जायेगा।
6. अपंजीकृत की स्थिति में बैंक का नाम जिसमें रिफण्ड की धनराशि ट्रांसफर की जानी है, ड्रापडाउन से सलेक्ट किया जायेगा। बैंक एकाउण्ट नं० तथा शाखा का नाम भी अंकित किया जायेगा।
7. पंजीकृत व्यापारियों की दशा में बैंक खाते का विवरण डेटाबेस से स्वतः अंकित हो जाएगा। यदि व्यापारी को अपने बैंक खाते का विवरण परिवर्तित करना है तो उसे आन लाईन Amendment प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित कराया जा सकता है।
8. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिफण्ड योग्य धनराशि का अंकन शब्दों में किया जायेगा। इसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष का चयन Drop down से किया जायेगा।
9. इनके अंकन के पश्चात व्यापारी को जिन आदेशों से रिफण्ड देय है, इन आदेशों से सम्बन्धित विवरण को अंकित किया जायेगा। बिन्दु संख्या 1 व 2 में रिफण्ड आर्डर पारित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष का चयन Drop down से किया जायेगा। बिन्दु संख्या 3 में पुनरीक्षण / रिट

mu

संख्या तथा दिनांक का अंकन किया जायेगा तथा बिन्दु संख्या 4 में सुसंगत धारा अंकित की जायेगी जिसके अन्तर्गत उक्त आदेश पारित है तथा रिफण्ड से संबंधित वित्तीय वर्ष का चयन Drop down से किया जायेगा।

10. VYAS Central साफ्टवेयर में रिफण्ड आदेश के विवरण के अंकन का कार्य कर निर्धारण कार्यालय में कार्यरत संबंधित स्टाफ के माध्यम से भी कराया जा सकता है। इस स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकित विवरण का Verification अनिवार्य होगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टाफ द्वारा प्रविष्ट किए गए प्रकरणों से संबंधित विवरणों को आवश्यकतानुसार Edit करने के पश्चात Verify के बटन पर क्लिक करके Verify किया जा सकता है।

11. इसके पश्चात रिफण्ड आर्डर प्रिन्ट के लिंक पर क्लिक करके Refund Payment Order (फार्म XXXIII) का Print निकाला जा सकता है। इस रिफण्ड आर्डर पर 14 Digit का क्रमांक यथा - 14128961900000 तथा दिनांक स्वतः ही सिस्टम से अंकित हो जाएगा। इस क्रमांक में प्रथम दो क्रमांक वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं, आगामी दो क्रमांक प्रार्थना पत्र की श्रेणी से संबंधित हैं, इसके आगे के पाँच क्रमांक आफिस कोड से संबंधित हैं तथा शेष Running क्रमांक हैं।

12. रिफण्ड की पाक्षिक समीक्षा ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 द्वारा आन लाइन उपलब्ध विवरणों के आधार पर की जाएगी। रिफण्ड के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय के पत्र संख्या -वाढ/ (2013-14)/850/वाणिज्य कर दिनांक 17.07.2013 द्वारा जो रु 01 लाख से 10 लाख तक के रिफण्ड के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा तथा रु 10 लाख से अधिक के रिफण्ड के जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा विचारण के उपरान्त आहरण वितरण अधिकारी को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, उन्हें एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आप उपर्युक्त से भिन्न होते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी रिफण्ड / समायोजन की उक्त प्रक्रिया से अवगत कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 15 जुलाई, 2014 से समस्त रिफण्ड/समायोजन की कार्यवाही आन लाइन ही निष्पादित की जाए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Mh
08.7.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष, 30प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, 30प्र० शासन, लखनऊ।

(2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।

- (3) निदेशक कोषागार, 30प्र0 को इस अनुरोध से प्रेषित कि समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी के संज्ञान में उक्त आन लाइन प्रक्रिया को लाने का कष्ट करें, साथ ही यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि दिनांक 15, जुलाई, 2014 से फार्म-XXXIII में रिफण्ड आदेश आन लाइन ही जेनरेट होंगे जिन पर 14 डिजिट का क्रमांक अंकित होगा। इन्हीं आन लाइन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में रिफण्ड की कार्यवाही की जाए।
- (4) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (5) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (6) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (7) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (8) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (9) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (12) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (13) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (14) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (15) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (16) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (17) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (18) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य/गाजियाबाद।
- (20) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(30न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (21) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (22) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (23) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (24) अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (25) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (26) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर), 30प्र0।
- (27) श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, कानपुर।
- (28) श्री बनवारी लाल कच्छल, अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कच्छल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (29) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (30) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
- (31) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (32) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (33) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए लाप्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।

- (34) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (35) आल इन्डिया मैनुयुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (36) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
- (37) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (38) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (39) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (40) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
- (41) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (42) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (43) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (44) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (45) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (46) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
- (47) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (48) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)30प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (49) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (50) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (51) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (52) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (53) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (54) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (55) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (56) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (57) श्री दिनेश अरोरा 30प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (58) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (59) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल,(पंजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।
- (60) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , 30प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (61) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,30 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
- (62) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (63) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (64) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला ,नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (65) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

- (66) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष अर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उप्र0)
- (67) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उप्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (68) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूं ।
- (69) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (70) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (71) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (72) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
- (73) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (74) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (75) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) ।
- (76) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
- (77) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ ।
- (78) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद
- (79) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
- (80) श्री मुकुल गुप्ता, नेशनल वायस प्रेसीडेन्ट, आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, आर - 13/24, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (81) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार, सेक्टर 62, नोएडा ।
- (82) राष्ट्रीय अध्यक्ष, / महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ